छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क संचालनालय की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

वेबसाइट– http://samvad.cg.nic.in/ फोन नं. 0771–2512580

क्रमांक–863 / छगसं. / प्रकाशन / 2024 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 01 / 08 / 2024

यूनीपोल के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों के इम्पैनलमेंट हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ संवाद (जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था) द्वारा रायपुर तथा नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों एवं प्रमुख शहरों एवं सभी विकासखण्ड, पंचायतो एवं प्रमुख जगहों में यूनीपोल के माध्यम से राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों के इम्पैनलमेंट हेतु निर्धारित प्रारूप में समस्त वांछित दस्तावेजों सहित पूर्ण भरे हुए निविदा ऑनलाइन माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रारूप एवं नियम शर्तों का अवलोकन छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाईट **http://samvad.cg.nic.in** पर किया जा सकता है। प्रारूप एवं नियम शर्तों में संशोधन होने पर संशोधन की सूचना उक्त वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी, पृथक से समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन नहीं की जाएगी। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि निम्नानुसार है :–

निविदा प्रपत्र का शुल्क	रूपये 2,360 / –(जीएसटी सहित) वापसी योग्य नहीं)
अमानत राशि	रूपये 5,00,000 / – (बिना ब्याज के वापसी योग्य)
प्रि–बिड	दिनांक 14 / 08 / 2024 समय दोपहर 3:00 बजे (छत्तीसगढ़ संवाद भवन के प्रथम तल में स्थित बैठक कक्ष में आयोजित होगी)
निविदा में भाग लेने हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि	दिनांक 05 / 09 / 2024 समय 2:00 बजे अपरान्ह तक
ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 05 / 09 / 2024 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 05 / 09 / 2024 समय 4:00 बजे सायं से

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक , सेक्टर-19 , नवा रायपुर अटलनगर

जिला - रायपुर ,छत्तीसगढ़

वर्ष 2024-26 तक के लिए रायपुर तथा नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र , छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों एवं सभी विकासखंड मुख्यालय , पंचायतों में यूनीपोल के माध्यम से प्रचार-प्रचार हेतु निविदा की नियम एवं शर्ते

क्रमांक	नियम एवं शर्ते
1	छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासन की योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के राजधानी रायपुर, नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र , छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालय एवं प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों एवं सभी विकासखंड मुख्यालय , पंचायतों एवं प्रमुख जगहों में यूनीपोल के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु स्वयं के पास नगर पालिक निगम /नगर पालिका/ नगर पंचायत/ ग्राम पंचायत /एयरपोर्ट/रेलवे परिसर से विज्ञापन प्रदर्शन अधिकार प्राप्त वैध यूनीपोल होने वाले एजेंसियों से निविदा आमंत्रित किया जा रहा है| जॉइंटवेंचर/ फेंचाइजी/कंसोरटीयम मान्य नहीं होगा।
2	किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में औसतन 50 लाख रुपए का UDIN अंकित टर्न ओवर प्रमाणपत्र ऑनलाइन अपलोड करना होगा|
3	निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 2,360/- जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रू. 5,00,000/- (बिना ब्याज के वापसी योग्य) छत्तीसगढ़ संवाद के बैक खाता में ऑनलाईन/ आरटीजीएस /एनईएफटी के माध्यम से जमा करना होगा एवं पावती/साक्ष्य की प्रति टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा। छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता का विवरण निम्नानुसार है:- Account Name : Chhattisgarh Samvad Bank Name : Central Bank of India Branch Name : Civil Line, Raipur (C.G.) Saving Account No. : 1279040867 IFSC Code No. : CBIN0282321
4	(1) यूनीपोल की विज्ञापन प्रदर्शन के अधिकार के संबंध में नगर पालिक निगम /नगर पालिका/ नगर पंचायत/ ग्राम पंचायत /एयरपोर्ट/रेलवे परिसर से विज्ञापन प्रदर्शन अधिकार संबंधी वैधता प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है| (2) यूनीपोल का फोटो एल्बम यूनीपोल की साईज एवं लोकेशन मैप की पूर्ण पता का उल्लेख करते हुए निविदा के साथ अपलोड करना होगा| (4)छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी विभाग मे निविदाकर्ता फर्म का जीएसटी पंजीयन की प्रति। जीएसटी पंजीयन की ARN मान्य होगा। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी पंजीयन के प्रति उपलब्ध कराने के पश्चात् ही संबंधित फर्म से अनुबंध निष्पादन किया जाएगा (5) पैन कार्ड की प्रति (6) Assessment year 2021-22 . 2022-23 एवं 2023-24 का इनकमटैक्स रिटर्न कीAcknowledgement की प्रतियाँ (7)माह मार्च 2024 का GSTR3B की प्रति| छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी पंजीयन नवीन होने की स्थिति में अपने प्रचलित जीएसटी नंबर का माह मार्च 2024 की जीएसटी रिटर्न की प्रति ऑनलाइन अपलोड करना होगा। |
5	निविदा आमंत्रण का उद्देश्य दर निर्धारण एवं पैनल तैयार करने के लिए|
6	छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट "samvad.cg.nic.in" में निविदा के टेक्नीकल बिड में वांछित दस्तावेज एवं फाईनेन्शियल बिड ऑनलाईन जमा किया जाना है।
7	निविदा मे प्राप्त दरो के आधार पर न्यूनतम दर निधारित कर निर्धारित दरो मे कार्य करने मे सहमत एजेन्सियों की 2 वर्षों के लिए पैनल तैयार किया जाएगा| निविदा में न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले एजेन्सियों को कार्य आबंटन में प्राथमिकता दी जाएगी| कार्य के तत्कालिकता एवं आवश्यकता तथा बेहतर लोकेशन एवं बेहतर Visibility के आधार पर न्यूनतम निर्धारित दरो मे पैनल के एजेन्सियों को कार्य आबंटन का पूर्ण अधिकार अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा|
8	आमंत्रित दर में मीडिया/ मटेरियल मुद्रण की दर शामिल नहीं होगा| संवाद द्वारा पृथक से मीडिया/ मटेरियल के मुद्रण हेतु निविदा किया जा रहा है| उक्त निविदा के L-1 दर पर कार्य मान्य होगी| मीडिया/ मटेरियल का मुद्रण छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा निर्धारित गुणवत्ता, आकार-प्रकार अनुसार करना अनिवार्य है, मुद्रण सामग्री के आकार में कमी होने पर 2 .5 प्रतिशत तथा मुद्रण की गुणवत्ता/जीएसएम में कमी होने पर 2 .5 प्रतिशत एवं दोनों कमी पाये जाने पर 5 प्रतिशत दर पर अनुपातिक दर के अतिरिक्त पेनाल्टी कटौती की जायेगी। पेनाल्टी तय करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा|

9	यूनीपोल लगाने की निर्धारित अवधि में Printing Media लगाने, रखरखाव और सुरक्षा के साथ-साथ आवश्यकता होने पर इसे बदलने का कार्य एजेंसी का होगा। मीडिया/मटेरियल माउंटिंग हेतु अतिरिक्त व्यय देय नहीं होगा। संबंधित विभाग/कार्यालय के अधिकारियों से प्रमाणित संतोषजनक कार्य संपादन संबंधी प्रमाण-पत्र, एवं दिनांक उल्लेखित प्रमाणित छायाचित्र की दो प्रतियां जिसमें यूनीपोल की लोकेशन, अवधि एवं साईज उल्लेखित हो देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा। Printing Media हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री NGT तथा समय समय पर केंद्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार अनुमोदित सामग्री का उपयोग किया जाना अनिवार्य है, जिसकी उत्तरदायी सम्बंधित एजेंसी की होगी|
10	सम्बंधित विभागों से छत्तीसगढ़ संवाद को देयक का भुगतान प्राप्त होने के पश्चात ही संबंधित एजेंसी के देयकों का भुगतान किया जाएगा , कार्य हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा |एजेंसी द्वारा कार्य पश्चात् 21 दिवस के भीतर फोटोग्राफ्स एवं सत्यापन प्रमाण पत्र के साथ देयक छत्तीसगढ़ संवाद में प्रस्तुत करना होगा| एवं जीएसटी अधिनियम के तहत निर्धारित तिथि के अन्दर एजेंसी को देय जीएसटी का भुगतान सुनिश्चित करना होगा|
11	निविदा में अंकित दरें एवं शर्तों को स्वीकृत, अस्वीकृत एवं नियम शर्तों को शिथिल करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
12	**छ.ग. शासन के किसी भी उपक्रम निगम, मंडल, विश्व विद्यालय स्ववित्तपोषी संस्था द्वारा काली सुची मे डाले गये फर्म निविदा मे भाग नही ले सकते। इस सम्बन्ध् मे निर्धारित प्रारूप में फर्म को नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ - पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फर्म को कहीं भी काली सुची मे नही डाला गया है एवं शपथ पत्र कि मूल प्रति (हार्डकॉपी) निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं नियत समय तक छत्तीसगढ़ संवाद भवन, नवा रायपुर अटल नगर के द्वितीय -तल में स्थित कक्ष क्र . SF- 10 भण्डार शाखा में जमा करना होगा ।**
13	जन, धन एवं थर्ड पार्टी की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बंधित एजेंसी की होगी| किसी भी प्रकार की क्षति के लिए छत्तीसगढ़ संवाद उत्तरदायी नही होगा समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओ से यथा आवश्यक अनुमति /प्रमाण पत्र/NOC एजेंसी के पास होनी चाहिए|
14	कार्य संपादन पश्चात सत्यापन प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ्स के साथ 21 दिवस तक एजेंसी द्वारा देयक प्रस्तुत नही करने पर एजेंसी को देयक प्राप्त होते तक अन्य कार्य का आबंटन नही किया जायेगा|
15	निविदा की न्यूनतम दरों के अतिरिक्त शासन द्वारा लागू जीएसटी का पृथक से भुगतान किया जायेगा|
16	नगर निगम अथवा जो भी शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्था का क्षेत्र अधिकार है, उसकी अनुमति से जारी यूनीपोल की सूची निविदा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
17	छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा निर्धारित दरें निविदा अनुमोदन की तिथि से 02 वर्ष के लिए मान्य होगी। इसके पश्चात् अवधि में कम, वृद्धि व निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित होगा।
18	पैनल में सूचीबद्ध फर्म द्वारा L1 दर में कार्य करने में किसी भी प्रकार की असमर्थता यथा समय सीमा, तकनीकी समस्या या अन्य कोई कारण जाहिर करता है एवं कार्य नहीं करने की स्थिति में फर्म को आगामी तीन माह तक कोई कार्य / कार्यादेश नहीं दिया जायेगा |
19	पैनल के एजेंसी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर चाहे गए स्थानों में कार्यादेश में उल्लेखित आकार प्रकार में कार्य से इंकार करने पर एजेंसी की सुरक्षा निधि राजसात की जा सकेगी तथा एजेंसी को एक साल तक ब्लेक लिस्टेड किया जा सकेगा।
20	एजेंसी द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार को उपरोक्त निविदा के सभी नियम एवं शर्तें मान्य है।
21	जिस निकाय से फर्म को स्थापित यूनीपोल की रसीद / अनुमति प्राप्त होगी उसी निकाय में यूनीपोल को सूचीबद्ध किया जायेगा |
22	छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा उपलब्ध कराये गये निगरानी ऐप में लगाये गये युनीपोल का फोटो अपलोड करना होगा। फोटो 02 बार (प्रथम बार फ्लैक्स लगाने तथा द्वितीय बार युनिपोल डिस्प्ले हेतु निर्धारित अवधि की अंतिम तिथि) उपलब्ध कराना होगा। यदि आपका फ्लेक्स परिवर्तित होता है तो उस स्थिति में पूर्व में लगाये गये फ्लेक्स की अंतिम अवधि की फोटो तद्पश्चात आपको परिवर्तित फ्लेक्स का फोटो अपलोड करना होगा|

23	तकनिकी बिड खोलने के पश्चात् निविदाकार द्वारा निविदा withdraw करने की स्थिति में अथवा निविदाकार द्वारा जमा कोई दस्तावेज / जानकारी गलत या जाली साबित होती है तो निविदाकार द्वारा जमा अमानत राशि जब्त किया जाएगा	
24	निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार फर्म को राशि रू. 100/- के स्टाम्प पर छत्तीसगढ़ संवाद नवा रायपुर के साथ निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित कर नोटरी से सत्यापित कराना होगा।
25	**बिन्दु क्र . 12 में उल्लेखित नोटरी से सत्यापित प्रमाण पत्र की मूल प्रति के अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज ऑफलाईन स्वीकार्य नही होगा एवं वांछित दस्तावेज ऑनलाईन जमा नही होने की स्थिति में टेक्नीकल बिड अमान्य किया जायेगा।**
26	आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता):- किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेशन-प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा|
27	व्यवहार मे किसी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित होने पर न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर छत्तीसगढ़ ही होगा	

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
रायपुर

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक , सेक्टर-19 , अटलनगर

जिला - रायपर .छत्तीसगढ

वर्ष 2024-26 तक के लिए रायपुर तथा नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र, सभी जिला मुख्यालयों एवं सभी विकासखंड, पंचायतो में यूनीपोल के माध्यम से प्रचार-प्रचार हेतु वित्तीय निविदा |

Sr. No.	Work Name	Publish Qty
1	बिना लाईट यूनीपोल:-रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र हेतु बिना लाईट यूनीपोल न्यूनतम साइज़ 20'X10' का होना अनिवार्य है| जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें | 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा|	न्यूनतम 7 दिन-(प्रति वर्ग फीट)
		1-3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		4-6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		7-12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
2	बिना लाईट यूनीपोल:-नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र हेतु बिना लाईट यूनीपोल न्यूनतम साइज़ 20'X10' का होना अनिवार्य है | जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें | 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा|	न्यूनतम 7 दिन-(प्रति वर्ग फीट)
		1-3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		4-6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		7-12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
3	बिना लाईट यूनीपोल:- छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय हेतु बिना लाईट यूनीपोल न्यूनतम साइज़ 20'X10' का होना अनिवार्य है | जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें | 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा|	न्यूनतम 7 दिन-(प्रति वर्ग फीट)
		1-3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		4-6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		7-12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
4	बिना लाईट यूनीपोल:- छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों के सभी विकासखण्ड, ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्र हेतु बिना लाईट यूनीपोल न्यूनतम साइज़ 20'X10' का होना अनिवार्य है | जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें | 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा|	न्यूनतम 7 दिन-(प्रति वर्ग फीट)
		1-3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		4-6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		7-12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
5	लाईट यूनीपोल:-रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र हेतु लाईट यूनीपोल न्यूनतम साइज़ 20'X10' का होना अनिवार्य है | जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें | 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा|	न्यूनतम 7 दिन-(प्रति वर्ग फीट)
		1-3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		4-6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		7-12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
6	लाईट यूनीपोल:-नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र हेतु लाईट यूनीपोल न्यूनतम साइज़ 20'X10' का होना अनिवार्य है | जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें | 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा|	न्यूनतम 7 दिन-(प्रति वर्ग फीट)
		1-3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		4-6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक , सेक्टर-19 , अटलनगर

जिला - रायपर .छत्तीसगढ

वर्ष 2024-26 तक के लिए रायपुर तथा नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र, सभी जिला मुख्यालयों एवं सभी विकासखंड, पंचायतो में यूनीपोल के माध्यम से प्रचार-प्रचार हेतु वित्तीय निविदा |

		7-12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
7	लाईट यूनीपोल:- छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय हेतु लाईट यूनीपोल न्यूनतम साइज़ 20'X10' का होना अनिवार्य है | जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें | 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा|	न्यूनतम 7 दिन-(प्रति वर्ग फीट)
		1-3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		4-6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		7-12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
8	लाईट यूनीपोल:- छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों के सभी विकासखण्ड, ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्र हेतु लाईट यूनीपोल न्यूनतम साइज़ 20'X10' का होना अनिवार्य है | जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें | 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा|	न्यूनतम 7 दिन-(प्रति वर्ग फीट)
		1-3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		4-6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		7-12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
9	लाईट मिनी यूनीपोल:-रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र हेतु लाईट मिनी यूनीपोल अधिकतम साइज़ 15'X10' या उससे कम साइज़ का होना अनिवार्य है | जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें | 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा|	न्यूनतम 7 दिन-(प्रति वर्ग फीट)
		1-3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		4-6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		7-12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
10	लाईट मिनी यूनीपोल:-नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र हेतु लाईट मिनी यूनीपोल अधिकतम साइज़ 15'X10' या उससे कम साइज़ का होना अनिवार्य है | जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें | 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा|	न्यूनतम 7 दिन-(प्रति वर्ग फीट)
		1-3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		4-6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		7-12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
11	लाईट मिनी यूनीपोल:- छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय हेतु लाईट मिनी यूनीपोल अधिकतम साइज़ 15'X10' या उससे कम साइज़ का होना अनिवार्य है | जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें | 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा|	न्यूनतम 7 दिन-(प्रति वर्ग फीट)
		1-3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		4-6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		7-12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
12	लाईट मिनी यूनीपोल:- छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों के सभी विकासखण्ड, ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्र हेतु लाईट मिनी यूनीपोल अधिकतम साइज़ 15'X10' या उससे कम साइज़ का होना अनिवार्य है | जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें | 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा|	न्यूनतम 7 दिन-(प्रति वर्ग फीट)
		1-3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		4-6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक , सेक्टर-19 , अटलनगर

जिला - रायपर .छत्तीसगढ

वर्ष 2024-26 तक के लिए रायपुर तथा नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र, सभी जिला मुख्यालयों एवं सभी विकासखंड, पंचायतो में यूनीपोल के माध्यम से प्रचार-प्रचार हेतु वित्तीय निविदा |

	किया जायेगा|	7-12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
13	बिना लाईट मिनी यूनीपोल:-रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र हेतु बिना लाईट मिनी यूनीपोल अधिकतम साइज़ 15'X10' या उससे कम साइज़ का होना अनिवार्य है| जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें | 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिकरूप से गणना किया जायेगा|	न्यूनतम 7 दिन-(प्रति वर्ग फीट)
		1-3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		4-6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		7-12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
14	बिना लाईट मिनी यूनीपोल:-नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र हेतु बिना लाईट मिनी यूनीपोल अधिकतम साइज़ 15'X10' या उससे कम साइज़ का होना अनिवार्य है| जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें | 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिकरूप से गणना किया जायेगा|	न्यूनतम 7 दिन-(प्रति वर्ग फीट)
		1-3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		4-6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		7-12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
15	बिना लाईट मिनी यूनीपोल:- छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय हेतु बिना लाईट मिनी यूनीपोल अधिकतम साइज़ 15'X10' या उससे कम साइज़ का होना अनिवार्य है| जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें | 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिकरूप से गणना किया जायेगा|	न्यूनतम 7 दिन-(प्रति वर्ग फीट)
		1-3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		4-6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		7-12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
16	बिना लाईट मिनी यूनीपोल:- छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों के सभी विकासखण्ड, ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्र हेतु बिना लाईट मिनी यूनीपोल अधिकतम साइज़ 15'X10' या उससे कम साइज़ का होना अनिवार्य है| जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें | 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिकरूप से गणना किया जायेगा|	न्यूनतम 7 दिन-(प्रति वर्ग फीट)
		1-3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		4-6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)
		7-12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)

दिनांक :

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
हस्ताक्षर (सील मुद्रा)
पूर्ण पताः
मोबाईल नं. ☐

(रू. 50/– के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा)

शपथ–पत्र

मैं————————————संस्था प्रमुख निवासी ——————————————छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा जारी निविदा प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। हमारे फर्म द्वारा वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा किया गया है, कोई देय राशि बकाया नहीं है। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का तथा हमारी संस्था को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे छग संवाद की उपरोक्त निविदा से संबंधित सभी नियम एवं शर्ते स्वीकार है।

यह कि हमारी संस्था —————————————— किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग/ निगम/मंडल इत्यादि द्वारा ब्लैक लिस्टेट (काली सूची) नहीं की गई है।

स्थान ——————

दिनांक ——————

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

संस्था का नाम व मोहर